





पटवारी के बयान अधीनस्थ न्यायालय में कलमबद्ध नहीं करायें गये हैं।

5. धारा 177 राजस्थान कायदेकारी अधिनियम, 1955 की कार्यावाही के तहत नियमावली तालिका होने के बाद ही अधिम कार्यावाही की जा सकती है और तालिका होने के बाद यदि जवाब पेश होता है तो उस स्थिति में एक नियमित वाद के समान कार्यावाही किया जाना होता है, अन्यथा तहसीलदार एवं राजन विभाग को साक्ष्य सर्वे पेश कर केस को साबित करना होता है।

6. धारा 177 राजस्थान कायदेकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यावाही के लिए भिदाद की सीमा तीन साल की है, इसलिए यह देखा जाना आवश्यक है कि कब कार्यावाही की गयी? और न्यायालय में धारा 177 के तहत प्रस्तुत यह पेशना पर अन्तर भिदाद है अथवा नहीं?

7. अधीनस्थ न्यायालय में अधीनस्थ की ओर से दिनांक 11 जून 2015 को वकालतनामा पेश किया जा चुका था, फिर भी 11 जून 2015 की आदेशिका के अनुसार अपर-अधीनस्थ के गौटिस विधिवत तालिका नहीं होने के कारण पूनः पेश होने पर गौटी किये जाने के निर्देश दिये गये।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ को वादवस्तु आरानी को तलहा खतौर मानकर अधीनस्थ आदेश पारित किया गया है, जबकि वादवस्तु आरानी के अधीनस्थ के अलावा अन्य और भी सहखतौर है, जिन्हें मामले में पक्षकार बनाने विना और साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया अधीनस्थ आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय  
Kansing



18/11/20  
Kansing Vs State

उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यावाही की  
व्याख्या की जा सकती है कि वह सिर्फ या उसकी प्रति  
किया जाना अधिक मात्रा में है कि वह सिर्फ अतीत  
किया/कराया जाना चाहिए पर यह भी सिर्फ सिर्फ है  
दल द्वारा वक्त विधीकरण वादग्रस्त आसानी से अद्वैत खान  
क्षेत्र का विधीकरण किया गया। प्रमाणों के बिना 4 में उक्त  
एक दल बनाया जाकर विशेष अधिकारों के तहत तदर्थ  
संस्था ही खलि-विधान द्वारा अद्वैत खान की संरक्षण हेतु  
के बिना संस्था ही में प्रति किया गया है कि अपराध  
1. अतीत व्याख्या में तदर्थीकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों



अवलोकन किया गया जिससे पता जाता है कि -  
व्याख्यापूर्वक मूल किया गया एवं उपलब्ध अधिकारों का आधीपान  
उत्पत्ति के विधान अधिवक्ताओं की उपरोक्त वक्त पर  
हले से खलि की जावे।  
अद्वैत व्याख्या एवं विधिसम्मत: प्रति किया गया है। अतीत सारहीन  
अधिसूत्र, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यावाही करते हुए अधीनस्थ  
अतः अतीत व्याख्या द्वारा उनके विनाक राजस्थान कावकारी  
कावकारी अधिसूत्र, 1955 के प्राधानों के तहत अद्वैतियक कृत है।  
प्रधानों उपरोक्त करते हुए अद्वैत खान किया है, जो राजस्थान  
द्वारा अपनी खादारी की क्षेत्रों का विना संरक्षण स्वीकृति के अक्षि  
अधीनस्थ विधायक का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ  
जवाब में स्पष्ट की और से विधान राजकीय अधिवक्ता ने

अतः अधिवक्ता अधीनस्थ ने विवेक किया कि अधीन  
अधीनस्थ पर स्वीकार की जाकर विहित अर्थात् प्रदान किया जावे।



न्यायालय में अपीलानुद को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।

5. उल्लेखनीय है कि दिनांक 06 मार्च 2014 से लेकर दिनांक 29 मई 2015 तक तथा दिनांक 09 जुलाई 2015, 28 अक्टूबर 2015 तथा 30 अक्टूबर 2015 से लेकर 08 जुलाई 2019 तक किसी भी आदेशिका पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही के प्रति धीरे धीरे लापरवाही एवं प्रमाद बरतता गया है। प्रभावहीन अधीनस्थ की क्या स्थिति है? आदेशिकाओं में क्या लिखा जा रहा है? पक्षकारान की उपस्थिति/वर्गीकरण की क्या स्थिति है? आदेशिकाओं में क्या स्थिति है? आदेशिकाओं में क्या वर्णित किया जा रहा है? आदि का कहीं कोई दायतम्य ही नहीं है।

6. समूचे प्रकरण में यद्यपि संख्या 328 रकबा 96 बीघा 10 बिस्वा में से अपीलानुद द्वारा अपील हेतु में अपीलानुद आदेश के विरुद्ध अपीलानुद द्वारा अपीलानुद-अपीलानुद की खातेदारी निरस्त की जाकर यह अपीलानुद-अपीलानुद सिद्धांतक एवं किसे जाल के आदेश तदधीनदार को दिये गये हैं। अपीलानुद के हिस्से का यह अपीलानुद विषय है कौनसा? कहीं अपीलानुद के हिस्से का यह अपीलानुद विषय है? कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट तक में अपीलानुद जाल अपीलानुद विषय की अवस्थिति/हदद, रकबा आदि का विवरण नहीं दिया गया है।

7. वादग्रस्त अपीलानुद से संबंधित जो राजस्व रिकार्ड जल न्यायाधीश यदव 2059-2062 नाम बडगी अधीनस्थ न्यायालय

राजस्थान न्यायाधीश  
जयपुर



की पत्रावली में संलग्न है, उसके अवलोकन से विरल होना है कि वादग्रत आराजी अकेले अपराधी-अपीलाएट की खातेदारी की नहीं होकर सचवात खातेदारी की भी है, मगर अपीलारख्त न्यायालय में अपीलाएट के अलावा वादग्रत आराजी के अन्य सहखातेदारान को इस प्रकार

पक्षकार ही नहीं बनाया गया है।

नहीं तक अपील परतुव करने में हुए विनमर का प्रख है, चूंकि

व्युपारवण के आधर २५ अपील अपीलाएटस सारवान परी जाती है,

अतः समय-समय पर मजलीस उच्च न्यायालयों द्वारा परिपदिद सिखाने

के आलाक में प्रकरण तियाद वैसे तकलीकी बिन्द पर खरिन कर पक्षकार

के लिए न्याय-परित का मार्ल अवसख करना न्यायविद नहीं समझते हुए

अपील अन्दर तियादशुमार की जाती है।

उपरिवत समस्त विवेचन एवं विखेण के परिशुक्ष में अदालत

होना की राय में अपीलारख्त न्यायालय द्वारा परित अपीलाएलिन आदेश

दिलोक 13 अगस्त 2019 प्रकियागत एवं विधिसम्मत: नहीं होने से बहान

खरले जाने योग्य नहीं परया जाता है। अतः अपील अपीलाएट आशिक

स्वीकार की जाती है और अपीलाएलिन आदेश दिलोक 13 अगस्त 2019

अपारवत किया जाकर प्रकरण इस निदेश के साथ अपीलारख्त न्यायालय को

सिमाएड किया जाता है कि सभी सहखातेदार को मामले में आवस्यक

पक्षकार बनाया जाकर साक्ष सबूत का अवसर दिया जाकर मामले को

व्युपारवण के आधर पर विरदारण किया जावे।

विनिय खरले न्यायालय में संलग्न गया।

(नरवानल वारडेड)  
राजव अपील परिकारी, नरपर

7/12/2020

